L. A. Bill No. IV OF 2024.

A BILL
FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ४ सन् २०२४।

मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, मुंबई नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०२४, १५ फरवरी २०२४ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् १८८८ का ३।
सन् २०२४ का महा. अध्या. क्र. २।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम मुंबई नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०२४ कहलाए।

(२) यह १५ फरवरी २०२३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १८८८ का ३ की धारा १५४ में संशोधन।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहां गया है) की, धारा १५४ की, उप-धारा (१घ) के, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :— सन् १८८८ का ३।

"(क-१) उप-धारा (१ ग) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(एक) उप-धारा (१ क) के अधीन, नियत किसी भवन या भूमि का पूंजीगत मूल्य वर्ष २०२३-२४ में पुनरीक्षित नहीं होगा ;

(दो) किसी भवन या भूमि का सम्पत्ति करपत्रक वर्ष २०२२-२३ के लिए जो था वह वर्ष २०२३-२४ के लिए होगा ;

(तीन) उप-धारा (१ क) के अधीन नियत किसी भवन या भूमि का पूंजीगत मूल्य मानों कि खण्ड (एक) वर्ष २०२३ के लिए लागू नहीं था समझकर वर्ष २०२४-२०२५ के लिए पुनरीक्षित किया जायेगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की धारा १३९ का खण्ड (१) सम्पत्ति करों को अधिरोपित करने के लिए उपबंध करता है। उक्त अधिनियम की धारा १५४, सम्पत्ति कर को निर्धारणीय किसी भवन या भूमि के करयोग्य मूल्य या पूंजीगत मूल्य का अवधारण करने के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा १५४ की, उप-धारा (१क), सम्पत्ति कर के तध्दीन उल्लिखित घटकों के संबंध में आयुक्त द्वारा सम्पत्ति कर को निर्धारणीय किसी भूमि या भवन के पूंजीगत मूल्य के नियतन के लिए उपबंध करता है। उसकी उप-धारा (१ख), उप-धारा (१क) के अधीन, पूंजीगत मूल्य का नियतन करने के प्रयोजन के लिए तध्दीन विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में स्थायी समिति के अनुमोदन से नियम विरचित करने के लिए आयुक्त को सशक्त बनाती है। उसकी उप-धारा (१ग) यह उपबंध करती है कि, उक्त धारा १५४ की उप-धारा (१क) के अधीन नियत किसी भवन या भूमि का पूंजीगत मूल्य प्रत्येक पाँच वर्षों में पुनरीक्षित किया जायेगा ।

२. बृहन्मुंबई के नगर निगम के आयुक्त ने, उप-धारा (१क) के अधीन, पूंजीगत मूल्य के नियतन के प्रयोजन के लिए उप-धारा (१ख) के अधीन, भवनों या भूमियों के उपयोगकर्ता के घटक और प्रवर्गों (बहुलीकरण द्वारा भार का निर्धारण) पूंजीगत मूल्य का नियतन नियम, २०१० के तथा भवनों और भूमियों के उपयोगकर्ता के घटक और प्रवर्गों (बहुलीकरण द्वारा भार का निर्धारण) पूंजीगत मूल्य का नियतन नियम, २०१५ विरचित किया गया है।

सन् २०१९ के एस एल पी (सी) क्रमांक १७००९ में उच्चतम न्यायालय ने, दिनांकित ७ नवम्बर २०२२ के उनके न्यायनिर्णय में उक्त अधिनियम की धारा १५४ की, उप-धारा (१क) और (१ख) के उपबंधों को आधिकारातित होनेवाले उक्त पूंजीगत मूल्य नियम, २०१० और २०१५ का नियम २० को प्रभावित करता है।

३. इसे देखते हुए, उक्त धारा १५४ की उप-धारा (१क) के अधीन पूंजीगत मूल्य का नियतन करना और वर्ष २०२३-२४ में पूंजीगत मूल्य का पुनरीक्षण करना संभव नहीं है। इसलिए, किसी भवन या भूमि का पूंजीगत मूल्य वर्ष २०२३-२४ में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा और किसी भवन या भूमि के लिए सम्पत्ति कर वही रहेगा जैसे वर्ष २०२२-२३ के लिए था तथा वर्ष २०२४-२५ में पुनरीक्षित किया जायेगा यह उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा १५४ की उप-धारा (१घ) का यथोचित संशोधन करना इष्टकर है समझा गया है।

४. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चूका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिसके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था अतः मुंबई नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (सन २०२४ का महा. अध्या. क्र २) १५ फरवरी २०२४ को महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित हुआ था।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित २२ फरवरी २०२४।

एकनाथ शिंदे,
मुख्यमंत्री ।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित २५ फरवरी, २०२४।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानसभा ।